फार्म – ए

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सिवान **उपस्थित – उमेश मणि त्रिपाठी** **जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सिवान** **निर्णय का दिनांक : 08.05.2026** **सत्रवाद संख्या : 64/2016** **निबंधन संख्या : 143/2016** असॉव थाना काण्ड संख्या– 63/2012 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 447, 504 भा0द0वि0	
सूचक	राज्य द्वारा बबन यादव, पिता– भीरू यादव, निवासी– ग्राम–तियर लिलही टोला, थाना– असॉव, जिला– सिवान
अभियोजन की तरफ से	श्री रघुबर सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. मनन यादव, 2. ददन यादव, 3. शिवकुमार यादव उर्फ शिवकुमार 4. रामनाथ यादव, 5. कन्हैया यादव उर्फ कन्हैया चौधरी 6. राजेन्द्र यादव उर्फ राजेन्द्र चौधरी, 7. राधे यादव उर्फ राधेश्याम यादव, 8. रूदल यादव, 9. सत्यनारायण यादव, 10. रामनारायण यादव उर्फ रामनारायण चौधरी 11. शिवजी यादव एवं 12. सीताराम यादव
बचाव पक्ष की तरफ से	श्री विनय कुमार एवं श्री पियूस कुमार सिंह (विद्वान अधिवक्तागण)

फार्म – बी

घटना की तारिख	20.11.2012
प्राथमिकी की तिथि	20.11.2012
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	31.01.2013
आरोप गठित किये जाने की तिथि	25.07.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	15.09.2017
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	06.05.2026
निर्णय की तिथि	08.05.2026
दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	कुछ नहीं

……

अभियुक्त संख्या	**1**
अभियुक्त का नाम	मनन यादव, पिता— सत्यनारायण यादव, उम्र— 37 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	21.11.2012
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	05.01.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**2**
अभियुक्त का नाम	ददन यादव, पिता— सत्यनारायण यादव, उम्र— 44 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	21.11.2012
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	05.01.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**3**
अभियुक्त का नाम	शिवकुमार यादव उर्फ शिवकुमार, पिता— रामनारायण यादव, उम्र— 35 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	14.01.2013
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	22.01.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

अभियुक्त संख्या	**4**
अभियुक्त का नाम	रामनाथ यादव(रामनारायण यादव), पिता– स्व0 नगीना चौधरी, उम्र– 72 वर्ष, निवासी– ग्राम– तियर लिलही टोला, थाना–असॉव, जिला– सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	20.05.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**5**
अभियुक्त का नाम	कन्हैया यादव उर्फ कन्हैया चौधरी, पिता– स्व0 देवनाथ उर्फ देवनाथ यादव, उम्र– 56 वर्ष, निवासी– ग्राम– तियर लिलही टोला, थाना–असॉव, जिला– सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	14.01.2013
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	22.01.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**6**
अभियुक्त का नाम	राजेन्द्र यादव उर्फ राजेन्द्र चौधरी, पिता– स्व0 देवनाथ चौधरी, उम्र– 65 वर्ष, निवासी– ग्राम– तियर लिलही टोला, थाना–असॉव, जिला– सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	20.05.2015
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

अभियुक्त संख्या	**7**
अभियुक्त का नाम	राधे यादव उर्फ राधेश्याम यादव, पिता— देवनाथ यादव, उम्र— 43 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	20.05.2015
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**8**
अभियुक्त का नाम	रूदल यादव, पिता— राजेन्द्र चौधरी, उम्र— 40 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	20.05.2015
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**9**
अभियुक्त का नाम	सत्यनारायण यादव, पिता— स्व0 भीम बली यादव, उम्र— 83 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	21.11.2012
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	05.01.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

अभियुक्त संख्या	**10**
अभियुक्त का नाम	रामायण यादव उर्फ रामनारायण चौधरी उर्फ व्यास, पिता— बली चौधरी, उम्र— 76 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	13.12.2012
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	05.01.2013
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**11**
अभियुक्त का नाम	शिवजी यादव, पिता—सुबा यादव, उम्र— 60 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	20.05.2015
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है
अभियुक्त संख्या	**12**
अभियुक्त का नाम	सीताराम यादव, पिता—स्व0 रंगलाल यादव, उम्र— 70 वर्ष, निवासी— ग्राम— तियर लिलही टोला, थाना—असॉव, जिला— सिवान
गिरफ्तारी की तिथि	अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया।
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	20.05.2015
आरोपित धारा	अंतर्गत धारा—147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष—सिद्ध किया गया है	दोष मुक्त किया गया है।
अधिरोपित दण्ड	दोष मुक्त किया गया है।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है इसलिए लागू नहीं होता है

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान।
उपस्थितः—उमेश मणि त्रिपाठी,
सत्र वाद संख्या—64/2016
सी0आई0एस0 संख्या—143/2016
असॉव थाना कांड संख्या—63/2012
राज्य बनाम मनन यादव एवं अन्य

निर्णय

1. अभियुक्तगण 1. मनन यादव, 2. ददन यादव, 3. शिवकुमार यादव, 4. रामनाथ यादव(रामनारायण यादव), 5. कन्हैया यादव, 6. राजेन्द्र यादव, 7. राधेश्याम यादव, 8. रूदल यादव, 9. सत्यनारायण यादव, 10. रामनारायण यादव, 11. शिवजी यादव एवं 12. सीताराम यादव के विरूद्ध दिनांक—25.07.2016 को धारा— 147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित किया गया। आरोप अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने अपने पर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

2. संक्षेप में, सूचक बबन यादव के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 20.11.2012 दिन मंगलवार समय करीब 07.00 बजे सुबह सूचक के पट्टीदार मनन यादव, ददन यादव, शिवकुमार यादव अपने खेत में हेंगा दिलवा रहे थे परन्तु वे सभी सूचक के खेत में बढ़कर उल्ही दे दिये। जब सूचक का भाई सुभाष यादव खेत पर गये तो खेत में उल्ही दिया देखकर अपने हाथ से उल्ही को अभी मिटा हीं रहे थे कि उक्त चारों व्यक्ति गाली—गलौज करते हुए अपने—अपने हाथ में लाठी लेकर मारने के लिए आये तो सूचक को भाई सुबाष यादव भागकर अपने घर चले आये। पुनः करीब 12:30—12:40 बजे मनन यादव, ददन यादव, शिवकुमार यादव, रामनारायण यादव पिता—स्व0 नगीना यादव, कन्हैया यादव, राजेन्द्र यादव, राधे यादव, रूदल यादव, सत्यनारायण यादव, राम नारायण यादव पिता—भीमबली यादव, शिवजी यादव, सीताराम यादव नजायज मजमा बनाकर अपने—अपने हाथ में लाठी एवं माला लेकर सुनियोजित ढंग से सूचक के खेत पर आ गये तथा गाली—गलौज करते हुए सूचक को घेर लिये तथा जान मारने के नियत से मनन यादव, ददन यादव एवं शिवकुमार यादव ने सूचक के ऊपर दनादन लाठी चलाया जिससे सूचक का सर, माथा, हाथ में चोट लगा। जब सूचक का लड़का सुरेश, सुबाष एवं दिलीप बचाने के लिए आये तो कन्हैया यादव अपने हाथ में लिये लाठी से सुबाष यादव के सिर पर मारे एवं राजेन्द्र यादव, राधे यादव, रूदल यादव, सत्यनारायण यादव भी अपने—अपने हाथ में लिये लाठी से सुभाष यादव, दिलीप यादव, एवं सुरेश यादव को लाठी से मार—पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिये। हल्ला—गुल्ला पर गॉव के बहुत से लोग जुट गये जो घटना को देखे।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के सभी अभियुक्तों के विरूद्ध, दिनांक—20.11.2012 को, अभियुक्तगण मनन यादव, ददन यादव, शिवकुमार यादव, रामनारायण यादव (रामनाथ यादव) पिता—स्व0 नगीना चौधरी, 5. कन्हैया यादव, 6.

राजेन्द्र यादव, 7. राधेश्याम यादव, 8. रूदल यादव, 9. सत्यनारायण यादव, 10. रामनारायण यादव 11. शिवजी यादव एवं 12. सीताराम यादव असॉव थाना कांड संख्या–63/2012, अतर्गत धारा– 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 447, 504 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान पश्चात् अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्तों सीताराम यादव, राधे यादव, शिवजी यादव, रूदल यादव, राजेन्द्र यादव, रामनाथ यादव(रामनारायण यादव) पिता–स्व0 नगीना यादव को निर्दोष दिखाते हुये एवं अभियुक्तगण मनन यादव, ददन यादव, सत्यनारायण यादव, रामनारायण यादव उर्फ व्यास पिता–स्व0 भीम बली यादव एवं शिवकुमार यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सत्य पाते हुए आरोप पत्र अंतर्गत धारा– 147, 148, 149, 341, 323, 307, 447, 504 भा0द0वि0 दिनांक–31.01.2013 को समर्पित किया गया, जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिवान द्वारा दिनांक–18.05.2013 को इस कांड के सभी अभियुक्तों द्वारा तथाकथित घटना कारित किये जाने के कारण सभी प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात धारा– 307 भा0 दं0 वि0 को अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान के द्वारा वाद को दिनांक–27.11.2015 को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया तथा तत्पश्चात यह वाद अन्य सत्र न्यायालयों से स्थानान्तरित होते हुए अंततः दिनांक–17.12.2025 को इस न्यायालय की संचिका में प्राप्त हुआ तथा इस वाद में विचारण प्रारम्भ हुआ।

4. दिनांक–27.04.2026 को सभी (12) अभियुक्तों का धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत बयान अभिलिखित किया गया। अभियुक्तों ने अपने बयान में अपने विरुद्ध साक्ष्यों से इन्कार किया एवं स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया।

5. इस वाद में केवल एक अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल रहा है?

साक्ष्य

6. अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा इस वाद में कुल पॉच(5) अभियोजन साक्षियों, यथा, अभियोजन साक्षी संख्या–1. विनोद कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–2. सुरेश यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–3. दिलीप कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–4.सुबाष यादव एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5. बब्बन यादव को क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अपने कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या—1. विनोद कुमार यादव (जो सूचक के ग्रामीण हैं) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 20.11.2012 को सुबह 07 बजे की है। उस समय वह अपना खेत जोतवा रहे थे। वहॉ सत्यनारायण यादव के खेत में हीं ट्रैक्टर चल रहा था। सत्यनारायण और बब्बन यादव का डडार खेत का एक हीं है। सत्यनारायण यादव का ट्रैक्टर बब्बन यादव का मेड़ तोड़ दिया और ट्रैक्टर से तीन डेग जमीन बब्बन का अधिक जोत दिया। सुभाष यादव आकर मेड़ जो काटा गया था उसे बांध रहे थे। उसी समय मन्नन यादव, राम नारायण यादव, ददन यादव आये और सुभाष से गाली—गलौज करने लगे। लोगो द्वारा बीच—बचाव करके दोनो लोगो को हटा दिया गया। उसी दिन 12.30 बजे बब्बन यादव, सत्तन यादव को लेकर मेड़ दिखलाने के लिए आ गये। दोनो लोगों में कहा—सुनी होने लगी। हल्ला सुनकर सतन के लड़के मनोज, रूदल यादव, शिवकुमार यादव और रामनारायण यादव लाठी लेकर आ गये। आपस में हल्ला, गाली—गलौज शुरू हो गया। इसी बीच रामनाथ यादव लाठी लेकर आ गये और बोले मारों इतने में झाड़ी में छिपे हुए राजेन्द्र यादव, कन्हैया यादव, राधे यादव, रूदल यादव आ गये। आकर बब्बन यादव को लाठी से मारने लगे। बब्बन यादव के लड़के भी वहॉ आ गये। बब्बन को मन्नन यादव, ददन यादव, शिव कुमार यादव मारे। वह गिर गये तब सतन यादव लाठी से मारे। इनके सिर और बांए बॉह पर चोट लगी। सुभाष यादव को कन्हैया, ददन और शिवकुमार यादव मारे। लिगंजी को रामनाथ यादव, शिव कुमार यादव, ददन यादव, दिलीप गोड़, राधे, रूदल यादव मारे। ये लोग घायल होकर लहुलुहान हो गये और गिर गये। कुछ लोग उठा कर डेर पर ले गये। गॉव आकर थाना पर गये। सुभाष की मां वहां भी और नहीं मारने के लिए बार—बार बोल रही थी।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कंडिका 16 में कहा है कि घटनास्थल पर जब वह पहॅुचा तो उसे चार घायल व्यक्ति मिलें। सभी घायल खड़ें थे। वह चारों घायलों से 02—04 मिनट बातचीत किया। कंडिका 21 में कहा है कि घटनास्थल पर कुल दस लोग जमा हुये थे जो इनके गॉव के थे। इसमें एक महिला थी। बच्चे नहीं थे। उनके परिवार से तीन आदमी और एक ड्राईवर था। कंडिका 22 में कहा है कि अभियुक्तों ने बब्बन चौधरी, सुभाष चौधरी, तिलंगी, दिलीप यादव पर मुकदमा किया है। सत्यनारायण यादव ने केस किया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–2. सुरेश यादव, (जो जख्मी–सह–सूचक के भाई है) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना आज से करीब छः साल पहले 09 बजे सुबह की है। इनके भाई सुभाष यादव खेत पर गये तो देखे कि उनकी जमीन में बढ़कर मेड़ मन्नन यादव, दद्दन यादव, शिवकुमार यादव, राम नारायण यादव, सत्यनारायण यादव लगा दिऐ है। इनका भाई हाथ से उस मेड़ को गिराने लगा भी वहॉ उपस्थित ये लोग लाठी लेकर उनके भाई को दौड़ा दिए। इस पर उनका भाई भाग कर घर आ गया और इनलोगो को बताये कि अभियुक्त मारने के लिए दौड़ाये थे। इनके बाबूजी गये और सत्यनारायण यादव को बुलाकर दिखाने लगे। येलोग भी गये। वह, उनके भैया, दिलीप यादव, उनकी मॉ वहॉ गये। वहॉ दोनो ओर से कहा–सुनी होने लगी। गाली–गलौज दिए। रामनाथ यादव आकर बोले कि मारो तब मन्नन यादव, दद्दन यादव, शिवकुमार यादव, रामनारायण यादव, सत्यनारायण यादव लाठी से इनके बाबूजी बब्बन यादव को मारने लगे। उनके सिर, गर्दन, कंधा, पैर पर चोट लगी। सिर फट गया और गिर गये तब भी ये लोग लाठी मारे। उनके भाई सुभाष यादव बचाने गये तो दद्दन यादव, रामनाथ, कन्हैया लाठी से उन्हें मार दिए सिर, गर्दन, शरीर, पैर पर चोट लगी। उनके भाई का सिर फट गया। दिलीप यादव के सिर, गर्दन, बांह पर चोट लगीं। उन्हें राजेन्द्र, दद्दन, कन्हैया मारे। इनके हाथ गर्दन, जांघ पर चोट लगी। उनका मां को भी मार लगी। भूषण यादव, विनोद यादव तथा गॉव के लोग आये तब अभियुक्त इनलोगो को छोड़कर भाग गये। आंदर में इनलोगों का इलाज हुआ। बब्बन यादव और सुभाष को सीवान सदर रेफर कर दिया गया।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कंडिका 16 में कहा है कि इन्हें किसने मारा था इन्होने नहीं देखा। कौन–कौन लाठी चलाया और कौन–कौन ईट चलाया तथा कितने आदमी थे वह नहीं बता सकते है। घटनास्थल पर काफी भीड़ था, धक्का–मुक्की एवं गाली–गलौज में वह गिर गये उसी के कारण उन्हें चोट लगा था। विनोद कुमार यादव घटना के बाद घटनास्थल पर पहुॅचे थे। दिलिप यादव विदेश में है और शेष गवाह भी बाहर है इसलिए शेष गवाही नही देना है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–3. (जो जख्मी–सह–सूचक के भाई हैं) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 20.11.2012 की है. समय लगभग 7:30 बजे सुबह की है। उस समय वह अपने डेरा पर था। उस समय उनके बड़े भाई खेत पर गये तो देखे कि उनका खेत में बढ़कर मनन यादव वगैरह अभियुक्तगण मेढ़ी लगा दिये। उनके भाई पैर से मेढ़ को मिटाने लगे। उसी समय मनन वादव, शिव कुमार यादव, ददन यादव, सत्यनारायण यादव अपने खेत में टैक्टर से हेंगा दिलवा रहे थे, जो इनके भाई को लाठी डंडा

लेकर मारने के लिए दौड़े तब इनका भाई वहां से भाग कर डेरा पर आ गये और घटना के विषय में बताये। 12 बजे जब इनके पिताजी आये तो घटना के विषय में बताया गया तो इनके पिताजी अभियुक्त सत्यनारायण यादव को लेकर खेत पर गये। उनके साथ वह, उनके भाई सुभाष यादव, तिलंगी यादव एवं उनकी मां भी खेत पर गये। खेत पर गये और सत्यनारायण यादव को दिखा रहे थे उसी समय मनन यादव, ददन यादव, शिव कुमार यादव रामनारायण यादव अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर खेत पर आ गये। दोनों पक्षों में कहा सुनी होने लगा। उसी समय रामनाथ यादव, कन्हैया यादव, रूदल यादव, राजेंद्र यादव, राधे यादव ये लोग भी लाठी लेकर आए। रामनाथ यादव बोले की मारो, तब इनके पिताजी को मनन यादव, ददन यादव एवं शिव कुमार यादव ने लाठी से मारने लगे जिससे इनके पिताजी का सिर फट गया और जमीन पर आ गए। इनके बड़े भाई सुभाष यादव बचाए गए तो मनन यादव, रामनाथ यादव, कन्हैया यादव एवं शिवकुमार यादव लाठी से मारने लगे। सुभाष यादव को सिर में चोट लगी, सिर फट गया और जमीन पर गिर गए। वह और तिलंग यादव बचाए गए तो मनन यादव, रूदल यादव एवं राधे यादव ने उन्हें मारा और तिलंगी यादव को रामनाथ यादव, कन्हैया यादव रामनारायण यादव ने लाठी डंडा से मारा। इन्हें सिर, पीठ एवं बायां कंधा में चोट लगी एवं भाई को पीठ एवं घुटनों में चोट लगी। इनके मां बचाने का प्रयास कि तब तक भूषण यादव एवं बिनोद यादव भी बचाने का प्रयास किये लेकिन अभियुक्तगण नहीं माने। जब सभी लोग जख्मी होकर गिर गए तब अभियुक्तगण छोड़कर भागे। आंदर अस्पताल में इलाज हुआ।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि इलाज का कागज दरोगाजी को दिए थे कि नहीं याद नहीं है। पुनः कथन किए कि दरोगाजी को कागज दिए थे। दरोगाजी से घटना के दिन थाना पर भेंट हुई थी, उसके बाद दरोगाजी से भेंट नहीं हुई है। अभियुक्त मनन यादव की तरफ से उनके ऊपर मुकदमा किया गया है कि कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वह जमानत पर है। उक्त मुकदमे में वह जमानत पर है वह मुकदमा इसी न्यायालय में चल रहा है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या—4. (जो जख्मी—सह—सूचक के पुत्र हैं) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना आज से लगभग तेरह साल पूर्व की है। समय दिन के सात बजे सुबह का था। वह अपने खेत पर गया था तो देखा कि खेत में मिट्टी उलहीं का काम चल रहा था। अभियुक्तगण उन्हें गाली—गलौज देते हुये दौड़ा दिये तब वह भागकर घर चले गये। सभी अभियुक्तगण अपने हाथ में लिये लाठी, डंडा, भाला, फरसा के साथ इनके घर पर आ गये और इनके पिताजी को घेर लिये और इनके पिताजी के साथ मारपीट किये जिससे इनके पिताजी के हाथ एवं माथा पर चोट लगा। जब वह बचाने गये तो कन्हैया यादव अपने हाथ

में लिये लाठी से इनके सिर पर मार दिये तथा अन्य अभियुक्तगण भी इन्हें लाठी से मारे जिससे वह जख्मी हो गये। गॉव के लोग बीच—बचाव किये तो जान बची।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि खेत पर मिट्टी पलटने को लेकर हल्का वाद—विवाद हुआ था और कोई घटना नहीं घटा था। उन्हें किसी अभियुक्तगण ने नहीं मारा था। वह अपने दरवाजे पर फिसलकर गिर गये थे इसलिए उन्हें चोट आयी थी। घटना कारित करने में अभियुक्तगण सम्मिलित नहीं रहे है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या—5. (जो इस मुकदमा के सूचक हैं) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह इस केस के सूचक है। घटना आज से लगभग तेरह साल पूर्व की है। समय दिन के सात बजे सुबह का था। उनका बेटा सुबाष यादव खेत पर गया था तो देखा कि खेत में मिट्टी उलहीं का काम चल रहा था। अभियुक्तगण उसे गाली—गलौज देते हुये दौड़ा दिये तब वह भागकर घर चला आया। सभी अभियुक्तगण अपने हाथ में लिये लाठी, डंडा, भाला, फरसा के साथ घर पर आ गये और उसे घेर लिये और उसके साथ मारपीट किये जिससे उसके हाथ एवं माथा पर चोट लगा। जब उनका बेटे सुरेश, सुभाष एवं दिलिप बचाने गये तो कन्हैया यादव अपने हाथ में लिये लाठी से सुभाष यादव के सिर पर मारा एवं अन्य अभियुक्तगण मिलकर दिलीप एवं सुरेश के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिये। गॉव के लोग बीच—बचाव किये तो जान बची।

बचाव पक्ष की ओर से हुए अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि खेत पर मिट्टी पलटने को लेकर हल्का वाद—विवाद हुआ था और कोई घटना नहीं घटा था। उन्हें किसी अभियुक्तगण ने नहीं मारा था। वह अपने दरवाजे पर गिर गये थे इसलिए उन्हें चोट आयी थी। घटना कारित करने में अभियुक्तगण सम्मिलित नहीं रहे है।

मंतव्य

13. अपने बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इस वाद के सूचक एवं अन्य साक्षी ने भी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों से इंकार किया है। साक्षी विनोद कुमार यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का आंशिक समर्थन किया है, परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तों को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते हैं।

14. विद्वान लोक अभियोजन का अपने बहस में कहना है कि इस वाद के सूचक समेत परीक्षित साक्षियों ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुये घटना को सिद्ध किया है। अतः अभियुक्तों को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन करते है।

15. मामले के सम्यक रूप से निर्णय के लिए सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्षी संख्या—05. बब्बन यादव जो इस वाद के सूचक हैं, ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी अभियुक्तगण अपने हाथ में लिये लाठी, डंडा, भाला, फरसा के साथ घर पर आ गये और उसे घेर लिये और उसके साथ मारपीट किये जिससे उसके हाथ एवं माथा पर चोट लगा परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि खेत पर मिट्टी पलटने को लेकर हल्का वाद—विवाद हुआ था और कोई घटना नहीं घटा था। उन्हें किसी अभियुक्तगण ने नहीं मारा था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने दरवाजे पर फिसलकर गिर गए, इसलिए उन्हें चोट आयी थी तथा घटना कारित करने में अभियुक्तगण सम्मिलित नहीं रहे है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या—01. विनोद कुमार ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्तगण सुभाष से गाली—गलौज करने लगे। दोनो लोगों में कहा—सुनी होने लगी। आपस में हल्ला, गाली—गलौज शुरू हो गया। राजेन्द्र यादव, कन्हैया यादव, राधे यादव, रूदल यादव आ गये और बब्बन यादव को लाठी से मारने लगे। सुभाष यादव को कन्हैया, ददन और शिवकुमार यादव मारे। लिगंजी को रामनाथ यादव, शिव कुमार यादव, ददन यादव, दिलीप गोड़, राधे, रूदल यादव मारे परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह कहा है कि घटनास्थल पर जब वह पहुँचा तो उसे चार घायल व्यक्ति मिलें। सभी घायल खड़ें थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या—02. सुरेश यादव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनातिथि को वह, उनके भैया, दिलीप यादव, उनकी मॉ घटनास्थल गये। वहॉ दोनो ओर से कहा—सुनी होने लगी। गाली—गलौज ये लोग दिए। उन्हें राजेन्द्र, दद्दन, कन्हैया मारे। इनके हाथ गर्दन, जांघ पर चोट लगी परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इन्हें किसने मारा था इन्होने नहीं देखा। कौन—कौन लाठी चलाया और कौन—कौन ईट चलाया तथा कितने आदमी थे वह नहीं बता सकते है। घटनास्थल पर काफी भीड़ था, धक्का—मुक्की एवं गाली—गलौज में वह गिर गये उसी के कारण उन्हें चोट लगा था। इस साक्षी ने यह माना है कि विनोद कुमार यादव घटना के बाद घटनास्थल पर पहुँचे थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या—03 दिलीप कुमार यादव ने अपने साक्ष्य में प्राथमिकी में वर्णित घटना का आंशिक समर्थन करते हुए अभियुक्तों द्वारा मारपीट किए जाने की बात कहीं है

परन्तु इस साक्षी को अभियोजन द्वारा शेष प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इनके साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या—04 सुरेश यादव ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटनातिथि को वह अपने खेत पर गया था तो देखा कि खेत में मिट्टी उलहीं का काम चल रहा था। अभियुक्तगण उन्हें गाली—गलौज देते हुये दौड़ा दिये तब वह भागकर घर चले गये। सभी अभियुक्तगण अपने हाथ में लिये लाठी, डंडा, भाला, फरसा के साथ इनके घर पर आ गये। जब वह अपने पिताजी को बचाने गये तो कन्हैया यादव अपने हाथ में लिये लाठी से इनके सिर पर मार दिये तथा अन्य अभियुक्तगण भी इन्हें लाठी से मारे जिससे वह जख्मी हो गये परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि खेत पर मिट्टी पलटने को लेकर हल्का वाद—विवाद हुआ था और कोई घटना नहीं घटा था। उन्हें किसी अभियुक्तगण ने नहीं मारा था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपने दरवाजे पर फिसलकर गिर गए इसलिए उन्हें चोट आयी थी तथा घटना कारित करने में अभियुक्तगण सम्मिलित नहीं रहे है।

इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी के साक्ष्य में निर्विवाद रूप से यह बात नहीं आयी है कि अभियुक्तगण ने सूचक, सूचक के भाई एवं पुत्रों के हत्या का कोई प्रयास किया हो या इनपर पर घातक हथियार से हमला किया हो, या कोई विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया हो। साथ ही साथ प्रस्तुत साक्षियों में से सूचक एवं जख्मी साक्षी सुभाष यादव साक्षी ने कहा है कि अपने दरवाजे पर फिसलकर गिर गया इसलिए मुझे चोट आयी थी। घटना कारित करने में अभियुक्तगण सम्मिलित नहीं रहे है। जख्मी साक्षी सुरेश यादव ने भी घटनास्थल पर काफी भीड़ होने के कारण धक्का—मुक्की से गिरने के कारण चोट लगना बताया है तथा यह भी बताया है कि साक्षी विनोद कुमार यादव घटना के बाद घटनास्थल पर पहुॅचे थे। उपरोक्त अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी दिलीप कुमार यादव का अभियोजन द्वारा शेष प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इनका साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभियोजन कथन और अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में व्यापक विरोधाभाष है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मामले में इस केस अनुसंधानकर्त्ता एवं चिकित्सक को भी परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही परीक्षित नहीं कराए जाने का कोई कारण ही दर्शित किया गया है। इस प्रकार से जितने भी साक्षी प्रस्तुत मामले में परीक्षित हुए हैं किसी भी साक्षी ने घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता के संदर्भ में कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है, जिस कारण उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों की संलिप्तता संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष भा0द0वि0 की धारा— 147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307/34 का आरोप साबित करने में विफल रहा है। अतः इन आरोपों से अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

16. तद्नुसार, अभियुक्तों 1. मनन यादव, 2. ददन यादव, 3. शिवकुमार यादव, 4. रामनाथ यादव, 5. कन्हैया यादव, 6. राजेन्द्र यादव, 7. राधेश्याम यादव 8. रूदल यादव, 9. सत्यनारायण यादव, 10. रामनारायण यादव, 11. शिवजी यादव एवं 12. सीताराम यादव को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा— 147, 148, 149, 341, 323, 447, 504, 307 / 34 भा0 दं0 वि0 से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तण जमानत पर है। इन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धीकृत
एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।
ह0 / —
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
सिवान
दिनांक— 08.05.2026

लेखापित
ह0 / —
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
सिवान
दिनांक— 08.05.2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान।
उपस्थितः—उमेश मणि त्रिपाठी,
सत्र वाद संख्या—64/2016
सी0आई0एस0 संख्या—143/2016
असॉव थाना कांड संख्या—63/2012
राज्य बनाम मनन यादव एवं अन्य

फार्म – सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षियों की सूची

(A) अभियोजन के तरफ से –

अभियोजन साक्षी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सिय साक्षी व अन्य
साक्षी संख्या—1	विनोद कुमार यादव	स्वतंत्र साक्षी
साक्षी संख्या—2	सुरेश यादव	जख्मी साक्षी
साक्षी संख्या—3	दिलीप कुमार यादव	जख्मी साक्षी
साक्षी संख्या—4	सुबाष यादव	जख्मी साक्षी
साक्षी संख्या—5	बब्बन यादव	सूचक/जख्मी साक्षी

(B) बचावपक्ष के तरफ से साक्षी – बचावपक्ष के तरफ से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(C) न्यायालय साक्षी— कोई नहीं।

अभियोजन/बचावपक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची—

(A) अभियोजन के तरफ से – कोई प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

(B) बचावपक्ष के तरफ से – कुछ नहीं।

(C) न्यायालय प्रदर्श – कुछ नहीं।

(D) वस्तु प्रदर्श—कुछ नहीं।

Date of Judgement	08-05-2026
Date of Reserving Judgement	08-05-2026
Uploading Date	11-05-2026
Uploaded By	Mosarrat